

मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30/9/2020

क्रमांक एफ 2-4/2020/सात/शा.7  
प्रति

कलेक्टर (समस्त)  
मध्यप्रदेश।

विषय: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 के संबंध में ।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2020 भाग 4 (ग) में पृष्ठ क्रमांक 1028 लगायत 1048 में प्रकाशित होकर वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) तथा राजस्व विभाग की वेबसाइट [www.revenue.mp.gov.in](http://www.revenue.mp.gov.in) पर उपलब्ध है।

कृपया अधीनस्थ समस्त राजस्व अधिकारियों यथा- उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों आदि को उक्त संशोधन अधिनियम को वेबसाइट से डाउनलोड कर अध्ययन करने तथा तदनुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

*[Handwritten Signature]*  
30/9/2020  
(एन.पी. अहिरवार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-4/2020/सात/शा.7

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*[Handwritten Signature]*  
30/9/2020  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग